



**RAJASTHAN UNIVERSITY OF  
VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER**



**Dr. B.R. Chhipa  
Vice-Chancellor**

**प्रथम अपील संख्या 108/2017**

मुनेश कुमार पोखरना  
डॉंगियो का चौराया,  
वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)  
बनाम

— अपीलार्थी

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,  
राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान,  
विश्वविद्यालय, बीकानेर

— प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 12.07.2017  
व 28.07.2017

अपील में निर्णय की दिनांक 08.08.2017

**निर्णय**

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 14.06.2017) के क्रम में अपीलार्थी/आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील दिनांक 12.07.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 17.07.2017) प्रस्तुत की गई व तत्पश्चात कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी राजुवास, बीकानेर द्वारा पत्रांक 226 दिनांक 14.07.2017 से प्रदत्त सूचना से असन्तुष्ट होकर पुनः अपील दिनांक 28.07.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 02.08.2017) प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक शून्य (अपीलार्थी/आवेदक द्वारा शुल्क के विवरण में अंकित दिनांक 06.06.2017 जिसकी विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 14.06.2017) प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक एफ (862) / RAJUVAS / Reg / RTI / 2017 / 226 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा प्रत्युत्तर व देय सूचना निःशुल्क प्रेषित की गई। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्रांक 226 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित सूचना का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर
1	वेटेनरी महाविद्यालय नवानिया मे अस्थाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कितने श्रमिक व अधिकारी लगे है। उनका नाम, पद, वेतन, मोबाईल सहित पूर्ण प्रमाणित विवरण।	वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा के माध्यम से किये गये टेके के अन्तर्गत 53 श्रमिक वर्तमान में कार्यरत है व कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है। शेष वांछित सूचना विश्वविद्यालय के अभिलेखों का भाग

*Contd.*

		नहीं होने के कारण उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है।
2	कुशल व अकुशल श्रमिक सप्लायर टेकेदार का नाम व लाईसेंस श्रमिक बीमा तथा विगत 05 वर्षों में कितने टेकेदारों ने टेका लिया व निविदा की पूर्ण प्रमाणित प्रति एवं विवरण।	वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि "कुशल एवं अकुशल श्रमिक सप्लायर" हेतु किसी प्रकार का टेका नहीं होता है अपितु विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतु टेका किया जाता है। विगत पांच वर्षों यथा वर्ष 2012-13 से 2016-17 में विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतु दिये गये टेके के टेकेदार का नाम मैसर्स सलीम राजू, बीकानेर है। शेष सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने व इसके प्रकटन में कोई वृहद लोक हित नहीं होने के कारण देय नहीं है।
3	प्रभारी अधिकारी बंगला नंबर 09 स्थित तलाई साइट (पूर्व साईट) पर जो गढ़वा किया (200 फीट) व्यास चोडा व 60 से 70 फीट गहरा- जिसका खनन विभाग द्वारा खनन अनुमति पेश की प्रमाणित प्रति।	वांछित सूचना के संबंध में 04 पृष्ठ संलग्न है।
4	किया गया खनन एवज में पर्यावरण का नुकसान का भरपाई हेतु कॉलेज प्रशासन द्वारा क्या योजना की गई जिसकी प्रमाणित प्रति।	वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि अनुमति उपरांत किये गये गढ़वे में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है।
5	खनन कर मिट्टी कि से दी गयी कॉलेज प्रशासन द्वारा दिये गये अनुमति पत्र की प्रमाणित प्रति।	वांछित सूचना अस्पष्ट है तथापि लेख है कि जो खनन हुआ वहां की मिट्टी महाविद्यालय परिसर में जहां खढ़वे थे वहां भराई की गयी व संबंधित अभिलेख बिन्दू संख्या 03 में प्रदत्त है।
6	वेटरनरी महाविद्यालय नवानिया के डीन पद के लिये क्या योग्यता व वरिष्ठता होती है जिसकी प्रमाणित प्रति।	बिन्दू संख्या 06 से 08 से वांछित सूचना से संबंधित 02 पृष्ठ संलग्न है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 11.07.2017 के अन्तर्गत डॉ. सी.एस. वैष्णव, डीन के रूप में कार्यरत है तथा इनकी योग्यता M.V.Sc (Animal Nutrition) है।
7	डीन पद पर अभी किस योग्यता के डीन नियुक्त है।	
8	डीन चयन प्रक्रिया कैसे होती और वर्तमान डीन कौन है व कितने वर्षों से है जिसका प्रमाणित विवरण।	


CAV

Contd.

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 12.07.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 17.07.2017) में आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 14.06.2017) का संलग्न होना दर्शाया गया है जबकि अपील के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2017 की प्रति प्रस्तुत न कर आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2017 जो कि नियमान्तर्गत समुचित प्राधिकारी को आवेदन शुल्क संदाय नहीं करने के आधार पर लौटाया गया कि छाया प्रति संलग्न की गई है व अपील में अपील के आधारों का भी उल्लेख नहीं किया गया है एवं संभवतः आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2017 के दृष्टिगत निर्धारित समयावधि गुजरने के मध्यनजर अपील प्रस्तुत की गई है। विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक F(अ 108/17) VCS/RAJUVAS/RTI/2017/237 दिनांक 27.07.2017 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई दिनांक 08.08.2017 नियत की गई होना अवगत कराते हुए नियत दिनांक को उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया, लेकिन अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात् अपीलार्थी/आवेदक द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 226 दिनांक 14.07.2017 के क्रम में एक और अपील दिनांक 28.07.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 02.08.2017) प्रस्तुत की गयी। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 226 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को स्पष्ट प्रत्युत्तर व विश्वविद्यालय के अभिलेखों में नियमान्तर्गत संधारित देय सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्कों संबंधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा विश्वविद्यालय में संधारित अभिलेख में उपलब्ध नियमान्तर्गत देय सूचना, निर्धारित समयावधि गुजर जाने के मध्यनजर निःशुल्क अपीलार्थी/आवेदक को प्रदान की जा चुकी है व विश्वविद्यालय के अभिलेखों का भाग नहीं होने वाली सूचना प्रदान नहीं किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही विधि सम्मत है। अतः उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

  
कुल सचिव  
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

  
(बी.आर. छीपा )  
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
राजुवास, बीकानेर